कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email: dmusn. 1995@gmail.com फोन नं0–05944–242344 / फैक्स नं0–05944–250408

पत्र संख्या– 1062/ भूलेख / II/VII (39) / 2020–21 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021
2021

सेवा में

समस्त उप जिलाधिकारी
जनपद, उधमसिंहनगर।

विषय– उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और "अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बिषयक राजस्व परिषद उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2952 / चार-18/ नियमा–प्रख्या०–2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–708 / 18(3) / 2021–03(10) / 2020 राजस्व अनुभाग–3 दिनांक 08–09–2021 तथा राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–2748 / 2021 देहरादून, दिनांक 29–09– 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और "अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" प्रेषित की गयी है ।

अतः उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और "अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020" के नियम 14(5) एवं 18(2) में संशोधन किये जाने के निमित्त "अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" की प्रति आपको नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि ।

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०)
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि–

1– प्रभारी अधिकारी नाजरत, जिला कार्यालय उधमसिंह नगर को संलग्न सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उधमसिहनगर को संलग्न सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना को जनपद की वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना अधिकारी उधमसिहनगर को संलग्न सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना का निःशुल्क प्रकाशन / प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि ।

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०)
उधमसिंहनगर।

census 2021

उत्तराखण्ड सरकार
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248008
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष : 0135.2669415, फैक्स : 266384

पत्रांकः 2952/चार-10 / नियमा-प्रख्या0-2021 दिनांकः 12 अक्टूबर, 2021

सेवामें,

1-आयुक्त
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2-आयुक्त,
कुमायूँ मण्डल नैनीताल
3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय- **"उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया(संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-708/18 (3)/ 2021-03(10)/2020 राजस्व अनुभाग-3 के संलग्न पत्र दिनांक 08.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संकिया नियमावली, 2020 के नियम 14(5) एवं 18(2) शंसोधन किये जाने के निमित्त **"उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संकिया (संशोधन) नियमावली, 2021"** प्रख्यापित किये जाने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संकिया नियमावली, 2020 के नियम 14(5) एवं 18(2) शंसोधन किये जाने के निमित्त "उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संकिया (संशोधन) नियमावली, 2021" की प्रतिलिपि प्रख्यापन एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(देवानन्द)
प्र0राजस्व आयुक्त(भू0व्य0)

प्रतिलिपि-उप राजस्व आयुक्त(भू0व्य0) की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्र0राजस्व आयुक्त(भू0व्य0)

12/10/21

पं०-०८। सं० 619। दि० 09-09-21

संख्या: 708/XVIII(3)/2021-03(10)/2020

प्रेषक,

डॉ0 बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Dy. R.C. (L.S) | I/c DRC
8/9/21

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–3

देहरादून: दिनांक 08 सितम्बर, 2021

विषय:– "उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 272/चार–18/नि0संशो0/2020, दिनांक 13.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020" के नियम 14(5) एवं 18(2) में संशोधन किये जाने के निमित्त "उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" प्रख्यापित किये जाने सम्बन्धी है।

2. इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक दिनांक 27 अगस्त, 2021 को सम्पन्न बैठक में पारित आदेश के क्रम में गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासकीय पत्र सं0–04/2/XIX/2021सी0एक्स0, दिनांक: 28.08.2021 द्वारा "उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021" को यथाप्रक्रिया प्रख्यापित किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त विधायी विभाग द्वारा विधीक्षित हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेखों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वामित्व योजना के अन्तर्गत नियत समय सीमा के दृष्टिगत तत्काल प्रश्नगत संशोधित नियमावली के प्रख्यापनोपरान्त नियमावली की राजपत्र में मुद्रित प्रति अभिलेख हेतु शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
सचिव।

राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्याः 2748./2021
देहरादून, दिनांक 29-09-2021

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1, 1904) की धारा 21 सपठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 234 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 में अग्रेतर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख और संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 14 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 14 के उपनियम (5) में 'इक्कीस दिनों' के स्थान पर 'दस दिनों' शब्द रखे जायेंगे।

नियम 18 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 18 के उपनियम (2) के अंत में "प्रत्येक सम्पत्ति संख्या के प्रपत्र-9 के साथ सम्पत्ति का नजरी नक्शा जो तकनीकी ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, संलग्न किया जायेगा" शब्द अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

(आयुक्त एवं सचिव)
राजस्व परिषद

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. / Dated 2020 for general information.

Board of Revenue, Uttarakhand, Dehradun
No. /2021
Dehradun: Dated: , 2021

In exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) read with sub-section (1) of section 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901), the Board of Revenue, Uttarakhand makes the following rules with the view to further amend the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation Rules, 2020 with the prior approval of the State Government.

The Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall come into at once.

Amendment of rule 14

2. In rule 14 of the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules) in sub-rule (5), for the ~~figure and~~ word "21 days", the ~~figure and~~ word "10 days" shall be substituted.

Amendment of rule 18

3. In rule 18 of the principal rule, in the end of sub-rule (2) the words "with every property form no.-9, the site plan of the property provided by the Technical Agency shall be attached" shall be inserted.

provided

(Commissioner and Secretary)
Board of Revenue